

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2333/2025

अनिल कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, न्यारा, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 (अनुलग्नक-5) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, न्यारा, अजमेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कामां, भरतपुर में किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में उपरोक्त आलोच्य आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या-209/2023 में चुनौती दी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.12.2024 पारित कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थागण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे और प्रत्यर्थागण को निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित करें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थागण को प्रस्तुत किया था, जिसे प्रत्यर्थागण ने आदेश दिनांक 20.03.2025 के द्वारा निस्तारित किया है।

और अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। उनका आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त नहीं कर अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किये जाने में प्रत्यर्थी विभाग ने त्रुटि की है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील में जो आधार उठाये गये थे, उन्हीं आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है। पूर्व अपील में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया जा चुका है, जिसमें अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)